(150)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1938-एक/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.08.2000 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक 11/स्व.निग./99-2000.

शिवशंकर व जगदीश पुत्रगण नन्दराम
निवासी- रंगवासा, तहसील व जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर
   कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, इंदौर
2. कंचनबाई पति घासीराम
   ग्राम रंगवासा तहसील इंदौर .....अनावेदकगण

श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, आवेदक

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा पारित दिनांक 22.08.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/अ-6/82-83 में दिनांक 30.09.1983 को आदेश पारित कर ग्राम रंगवासा तहसील इंदौर स्थित सर्वे क्रमांक 602 क्षेत्रफल 2.667 हैक्टेयर भूमि पर आवेदक का निरंतर कब्जा होने के आधार पर संहिता की धारा 110 के अंतर्गत मौरूती काश्तकार मानते हुए नामांतरण स्वीकार किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश में अनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा तहसील न्यायालय का उक्त प्रकरण स्वयं निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक

11/स्व.निग./99-2000 दर्ज कर दिनांक 22.08.2000 को आदेश पारित कर तहसीलदार का उक्त आदेश निरस्त किया गया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 185(1) तथा 168 के प्रावधानों के समझे बगैर आदेश पारित करने में भूल की गई है। यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अत्यधिक विलंब से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जबकि युक्तियुक्त समय के भीतर ही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जा सकती है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक लम्बे समय से प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसे संहिता की धारा 190 के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे। इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त होने के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत करने में कोई भूल नहीं की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा साक्ष्य पटवारी प्रतिवेदन एवं गवाहों के कथन को दृष्टिगत रखते हुए विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसे अत्यधिक विलंब से स्वप्रेरणा को निगरानी में लेकर निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिकता की गई है। उनके द्वारा तर्कों के समर्थन में 1995 आ.एन. 1, 1996 आ.एन. 80, 1998(1) एम.पी.वीकनी नोट. पृष्ठ क्रमांक 37 नोट 26 (उच्च न्यायालय) एवं 2000 आ.एन. 205, 214 एवं 161 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा न तो संहिता के प्रावधानों का पालन किया गया है और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य नहीं ली गई है, पटवारी के कथन भी अस्पष्ट हैं । आवेदक द्वारा अपने कथन को साक्ष्य से प्रमाणित भी नहीं किया गया है । प्रकरण में खसरा पांचसाला वर्ष 1979-80 लगायत 1981-83 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनावेदिका क्रमांक 2 की भूमि का विवरण मात्र है । खसरा पांचसाला के कालम नम्बर 4 में आवेदक का नाम दर्ज नही है और खसरे के कॉलम नम्बर 12 में भले ही आवेदक का कब्जा दर्ज हो तो भी उपकृषक सम्बन्धी कोई अनुबंध होना सिद्ध नहीं होने पर आवेदक को मौरूसी कृषक या भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । तहसीलदार ने आवेदक का मौरूसी कृषक होने के तत्व को प्रमाणित किये बिना ही आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की गई है । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं किया गया है और नामान्तरण

की कार्यवाही केवल स्वत्व के आधार पर किया जाता है, न कि कब्जे के आधार, जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं कर जो आदेश पारित किया गया है, जिससे न केवल अवैधानिकता की गई है, अपितु शासन को भी राजस्व की हानि हुई है । उपरोक्त स्थिति में कलेटर द्वारा तहसीलदार के आदेश में अवैधानिकता एवं अनियमितता पाये जाने पर स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर न्याय दृष्टान्तों के आलोक में विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाते हैं । चूंकि तहसीलदार का आदेश अवैधानिक एवं अनियमित है और ऐसे आदेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, इसमें समय-सीमा की कोई बाधा नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2000 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर